



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276216
CG-DL-E-15092026-276216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4768]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4768]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 4958(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में NH63 के कि.मी. 0 से कि.मी.1.9 (उपविभागीय कार्यालय आणि भूसंपादन कार्यालय, अहमदपुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अहमदपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में NH63 के कि.मी. 0 से कि.मी.1.9 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: लातूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चाकुर					
गांव का नाम: गांजुर					
1	399	निजी	कृषी	0.3063 (हेक्टेयर)	0.3063
2	403	निजी	कृषी	0.241 (हेक्टेयर)	0.241
3	407	निजी	कृषी	0.0373 (हेक्टेयर)	0.0373
4	408	निजी	कृषी	0.1551 (हेक्टेयर)	0.1551
5	409	निजी	कृषी	0.0687 (हेक्टेयर)	0.0687
6	410	निजी	कृषी	0.0945 (हेक्टेयर)	0.0945
7	417	निजी	कृषी	0.4948 (हेक्टेयर)	0.4948
8	418	निजी	कृषी	0.2729 (हेक्टेयर)	0.2729
9	419	निजी	कृषी	0.0596 (हेक्टेयर)	0.0596
10	427	निजी	कृषी	0.0411 (हेक्टेयर)	0.0411
11	428	निजी	कृषी	0.0497 (हेक्टेयर)	0.0497
12	429	निजी	कृषी	0.0658 (हेक्टेयर)	0.0658
13	430	निजी	कृषी	0.1227 (हेक्टेयर)	0.1227
14	431	निजी	कृषी	0.0968 (हेक्टेयर)	0.0968
15	432	निजी	कृषी	0.083 (हेक्टेयर)	0.083
16	433	निजी	कृषी	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
17	434	निजी	कृषी	0.0252 (हेक्टेयर)	0.0252

18	436	निजी	कृषी	0.0159 (हेक्टेयर)	0.0159
19	438	निजी	कृषी	0.0225 (हेक्टेयर)	0.0225
20	440	निजी	कृषी	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
21	Railway	सरकारी	अकृषी	0.1312 (हेक्टेयर)	0.1312
22	Road	सरकारी	अकृषी	0.0771 (हेक्टेयर)	0.0771
गांव का नाम: आष्टा					
23	65	निजी	कृषी	0.0622 (हेक्टेयर)	0.0622
24	66	निजी	कृषी	1.2051 (हेक्टेयर)	1.2051
25	67	निजी	कृषी	0.0311 (हेक्टेयर)	0.0311
26	67P	निजी	कृषी	0.1282 (हेक्टेयर)	0.1282
27	68	निजी	कृषी	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
28	Road	सरकारी	अकृषी	0.828 (हेक्टेयर)	0.828
Total					4.7943

[फा. सं. RW/MUM/NH(O)/2023/10/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. 4958(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH63 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 1.9 (Sub-Divisional Office and Land Acquisition Office, Ahmedpur) in the district of Latur in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer ORLAO, Ahamadpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH63 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 1.9 (Sub-Divisional Office and Land Acquisition Office, Ahmedpur) in the district of Latur in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: Latur		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Chakur					
Village: Ganjur					
1	399	Private	Agriculture	0.3063 (Hectare)	0.3063
2	403	Private	Agriculture	0.241 (Hectare)	0.241
3	407	Private	Agriculture	0.0373 (Hectare)	0.0373
4	408	Private	Agriculture	0.1551 (Hectare)	0.1551
5	409	Private	Agriculture	0.0687 (Hectare)	0.0687
6	410	Private	Agriculture	0.0945 (Hectare)	0.0945
7	417	Private	Agriculture	0.4948 (Hectare)	0.4948
8	418	Private	Agriculture	0.2729 (Hectare)	0.2729
9	419	Private	Agriculture	0.0596 (Hectare)	0.0596
10	427	Private	Agriculture	0.0411 (Hectare)	0.0411
11	428	Private	Agriculture	0.0497 (Hectare)	0.0497
12	429	Private	Agriculture	0.0658 (Hectare)	0.0658
13	430	Private	Agriculture	0.1227 (Hectare)	0.1227
14	431	Private	Agriculture	0.0968 (Hectare)	0.0968
15	432	Private	Agriculture	0.083 (Hectare)	0.083
16	433	Private	Agriculture	0.057 (Hectare)	0.057
17	434	Private	Agriculture	0.0252 (Hectare)	0.0252
18	436	Private	Agriculture	0.0159 (Hectare)	0.0159
19	438	Private	Agriculture	0.0225 (Hectare)	0.0225
20	440	Private	Agriculture	0.021 (Hectare)	0.021
21	Railway	Government	Agriculture	0.1312 (Hectare)	0.1312
22	Road	Government	Non Agriculture	0.0771 (Hectare)	0.0771
Village: Ashta					
23	65	Private	Agriculture	0.0622 (Hectare)	0.0622
24	66	Private	Agriculture	1.2051 (Hectare)	1.2051
25	67	Private	Agriculture	0.0311 (Hectare)	0.0311
26	67P	Private	Agriculture	0.1282 (Hectare)	0.1282
27	68	Private	Agriculture	0.0005 (Hectare)	0.0005
28	Road	Government	Non Agriculture	0.828 (Hectare)	0.828
Total					4.7943

[F. No. RW/MUM/NH(O)/2023/10/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director